UPMO010060112026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–1, मुरादाबाद

पीठासीन अधिकारी- (अनिल कुमार-IV)**,**

(उ०प्र० न्यायिक सेवा) - UP06124

<u>जमानत प्रार्थना पत्र सं0–1614/2026</u>

विशाल चौधरी उर्फ खुशी उर्फ चुहिया उम्र करीब 26 वर्ष पुत्र कौशल सिंह, निवासी 123, प्रकाश एन्क्लेव, कांठ रोड, थाना सिविल लाइन्स, जिला मुरादाबाद।

.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध सं0–199/2026
धारा–191(2), 191(3), 190, 109(1), 3(5) बी0एन0एस0 व 7 क्रि0लॉ0ए0 एक्ट।
थाना–सिविल लाइन्स, जिला मुरादाबाद।

1– आवेदक/अभियुक्त विशाल चौधरी उर्फ खुशी उर्फ चुहिया की ओर से इन आधारों पर जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उसे महज रंजिश की बिनाह पर झूठा फंसाया गया है, उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। मुकदमा उपरोक्त में जनता का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है, उसकी जमानत का कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद अथवा अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। उपरोक्त आधारों पर उसे जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गई है।

2. जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त के सगे पिता/पैरोकार कौशल सिंह द्वारा शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि, आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी भी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन नहीं है।

3. अभियोजन के अनुसार अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा उपनिरीक्षक दीपक पवार द्वारा एक लिखित तहरीर सम्बन्धित थाने पर दिनांक 03.04.2026 को इस

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2026.05.27 17:13:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आशय की प्रस्तुत की गयी कि, दिनाक 03.04.2026 को वह मय हमराही लैपर्ड 28 कर्म0गण कां0 3284 सनी पंवार व कां० 3370 बाबर के चौकी क्षेत्र रामगंगा विहार थाना सिविल लाईन जनपद मुरादाबाद मे वास्ते देखरेख शान्ति व्यवस्था व चैकिंग संदिग्ध वाहन व व्यक्ति व गश्त में मामूर था, तो जब हम लोग गश्त करते हुए सोनकपुर स्टेडियम के पास पहुंचे तो मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि किला तिराहा पर प्रेम स्वीट्स दुकान के सामने दो गुटो के बीच मे पुरानी रंजिश को लेकर गोली बारी हो रही है, तो वह हमराही कर्मगणो के तेजी से मौके पर पहुंचा तो देखा कि दो गुटो के बीच मे गोली बारी हो रही है तथा मौके पर पार्टी प्रथम सौरभ उर्फ सनी पुत्र सर्वेश कुमार निवासी आदर्श कालोनी थाना सिविल लाईन जनपद मुरादाबाद, अपिल चौहान पुत्र सलील मोहन चौहान नि0 एमआईजी बी/ 159, आशियाना फेस 1 थाना सिविल लाईन जनपद मुरादाबाद, लकी सैनी पुत्र राकेश उर्फ सुनील सैनी नि0 वैक कालोनी, खुशालपुर थाना मझौला जनपद मुरादाबाद, धुव धवन पुत्र नामालूम नि0 खुशालपुर चौराहा थाना मझोला जनपद मुरादाबाद, ब्बले पुत्र नामालूम नि0 नामालूम व अन्य 2–3 व्यक्ति नाम पता अज्ञात तथा पार्टी द्वितीय विशाल चौधरी उर्फ खुशी उर्फ चुहिया पुत्र कौशल सिंह नि० ए 123 प्रकाश एन्कलेव, काँठ रोड थाना सिविल लाईन जनपद मुरादाबाद, अर्णव पुत्र नामालूम निवासी नवीन नगर सिविल लाईन्स मुरादाबाद, हर्ष चौधरी उर्फ जानी पुत्र मन्टू सिंह निवासी ग्राम भटावली थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद, अर्पित चौधरी पुत्र नामालूम निवासी नामालूम व अन्य 23 व्यक्ति नाम पता अज्ञात समय करीब 01.00 ए0एम0 बजे एक दूसरे पर सामान आशय से जानलेवा हमला कर रहे थे व आग्नेयास्त्रो, अवैध अस्लहों से एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे थे जिससे मौके पर अफरा तफरा का मौहाल उत्पन्न हो गया था व जनता के लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिपने लगे थे, तो हम पुलिस वालो द्वारा घेराबन्दी कर इन अभियुक्तो को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया लेकिन ये सभी अभियुक्त अपने अपने वाहन गाडी स्कोर्पिया रजि0 नं0–यूपी 21 डीएन 4513 व गाडी टाटा टिएगो रजि0 नं0 यूपी 21 डीएम 8777 व एक बुलेट बाईक पर बैठकर व इस गोली बारी में घायल एक अभियुक्त लकी सैनी को भी अपने साथ ही गाडी स्कोर्पिया रजि0 नं0 यूपी 21 डीएन 4513 में ही बैठालकर मौके से फरार हो गये, उक्त घटना के सम्बन्ध में वादी द्वारा उच्चाधिकारीगणो को भी अवगत कराया गया। वादी की प्रश्नगत तहरीर के आधार पर आवेदक/अभियुक्त सहित अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा अंतर्गत धारा–191(2), 191(3), 190, 109(1), 3(5) बी0एन0एस0 व 7 क्रि0लॉ0ए0 एक्ट में पंजीकृत किया गया।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थना

पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

5. मैंने विद्वान सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता को विनम्रतापूर्वक सुना एवं पत्रावली का तत्समय सम्यक अवलोकन किया।

6. अभियोजन के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण हत्या करने का प्रयत्न करने, बल्वा करने, विधि विरूद्ध जमाव करने तथा अन्य से संबंधित है। अभियोजन के अनुसार घटना दिनांक 03.04.2026 की है जिसमें दोनों पक्षों के मध्य रंजिश को लेकर आपस में गोली बारी हो रही थी। उक्त गोली बारी में एक गोली अभियुक्त लकी सैनी को लगी। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि दो पक्षो के मध्य विवाद हो रहा था तो हमलावर पक्ष को सुनिश्चित किया जाना आवश्यक था और इसी प्रकार पीड़ित पक्ष का भी उल्लेख किया जाना आवश्यक था। परन्तु संबंधित पुलिस द्वारा जिन धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, वह पुलिस के विरूद्ध हत्या के प्रयास के अपराध इत्यादि से संबंधित नहीं है। अपितु दोनों पक्षो के मध्य विवाद से संबंधित है। अतः आरोप पत्र प्रेषित होने की दशा में विचारण के स्तर पर साक्ष्य संबंधी कठिनाई होने की प्रबल सम्भावना है, क्योंकि विवेचनाधिकारी द्वारा आक्रामक पक्ष एवं पीड़ित पक्ष में कोई विभेद नहीं किया गया है और विचारण के स्तर पर अभियुक्तगण इस स्थिति का दुरूपयोग कर सकते हैं। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि दोनों पक्षो के व्यक्तियों को अभियुक्त के रूप में नामित किया गया है, जिन्हें विचारण स्तर पर संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार स्वयं के विरूद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये विवश नहीं किया जा सकता। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि संबंधित दण्डाधिकारी द्वारा भी रिमाण्ड के समय इन तथ्यों पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत आवेदक/अभियुक्त की कथित अपराध में विनिर्दिष्ट रूप से संयुक्त/प्रथक भूमिका के बारे में कोई कथन नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर बिना राय व्यक्त किये हुये आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त विशाल चौधरी उर्फ खुशी उर्फ चुहिया का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त के द्वारा अंकन रू0 50,000/– का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा इसी धनराशि के दो ज़मानती, सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के दाखिल करने पर, निम्न शर्तों के अधीन ज़मानत पर रिहा किया जाए :–

1. आवेदक/अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद पुनः कोई अपराध कारित नहीं करेगा।

2. आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके।

3. आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

दिनांक– 27–05–2026

(अनिल कुमार–IV)
(आई0डी0 नं0 यू0पी0 6124)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0 01,
मुरादाबाद।